

राजस्व अपील संख्या 53/2022

अनवान  
हडमानराम बनाम सरकार

दिनांक 27-6-2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित आदेश क्रमांक/प्रगांसं/2021/18 दिनांक 8-10-2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांत अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांत की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-10-2021 के क्रम में प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत/हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस जारी कर तामिली पश्चात उनकी उपएस्थिति में नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया जावें। वक्त मौका निरीक्षण संबंधित पक्षकारो/हितबद्ध लोगो की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा भी तैयार किया जावे। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय उक्तानुसार तैयार मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तथा अपीलांत/हितबद्ध पक्षकारो की सुनवाई पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें, साथ ही अगर आवश्यक हो तो पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।



बति. सम्भागीय बायुक्त,  
जोधपुर